

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज०)

प्रकरण संख्या : 67 / 2021

तारीख दायर : 21.09.2021

अनवान

मोहनलाल पिता ऊंकार जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी थडौदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज०)

..... प्रार्थी

बनाम

01. शोभराज पिता गोर्धन जाति कराड उम्र वयस्क निवासी शम्भूपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज०)
02. मन्नी पत्नि गोर्धन जाति कराड उम्र वयस्क निवासी शम्भूपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज०)
03. मीरा पत्नि राजेन्द्र मीणा उम्र वयस्क निवासी कांसया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज०)

..... विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०ले०रे०एक्ट

— : आदेश : —

दिनांक 30/11/2021

प्रार्थना पत्र मोहनलाल पिता ऊंकार जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी थडौदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज०) ने जरिये अभिभाषक श्री घनश्याम लाल धाकड प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम मोगरवासा पटवार हल्का कांसया तहसील बिजौलिया की खाता सं. 80 पर आराजी संख्या 142 किता 1 रकबा 0.6961 है० भूमि सामलाती दर्ज है। विपक्षीगण आये दिन सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे। साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र संलग्न है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया

अतः प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021 में शिविर स्थान कांसया..... में पत्रावली पेश हुई हमने पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार/गैर खातेदार काश्तकार है। पडोसीयान के विवाद करने बाबत् शपथ पत्र संलग्न है पत्थरगढी से किसी स्वत्व पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पडता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया भूमि मौजा ग्राम मोगरवासा पटवार हल्का कांसया तहसील बिजौलिया की खाता सं. 80 पर आराजी संख्या 142 किता 1 रकबा 0.6961 है० भूमि सामलाती दर्ज की बशामलात सभी काश्तकारान एवं पडोसीयान को सूचित करते हुए पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावे। भू०अ०नि० कांसया बिजौलियां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। फीस 500/- रुपये वक्त पत्थर गढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों। च

आदेश सुनाया गया।



(सीमा अतिवादी)
प्रशासन उपखण्ड अधिकारी 2021
(उपखण्ड बिजौलियां)
बिजौलियां (भीलवाड़ा)